Title: Requests the Central Government to direct the State Government of Madhya Pradesh to pay bonus to all the teachers of Primary Schools appointed by Panchayats and District Panchayat.

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति जी, मैं भारत सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में

... (व्यवधान)

शिक्षकों को ५०० रुपये प्रति माह के वेतन पर नियुक्त किया गया। लेकिन एक जनहित याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों की भर्ती को गलत करार देकर पुनः उनका चयन करने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन शिक्षा अधिकारियों ने तीन वर्ष सेवा की है, उन्हें २५ बोनस अंक दिये जायेंगे। जिन्होंने दो वर्ष सेवा की है उन्हें १८ बोनस अंक दिये जायेंगे और जिन्होंने १ वर्ष सेवा की है, उन्हें ९ बोनस अंक दिये जायेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश की भी मध्य प्रदेश की पंचायतें एवं जिला पंचायतें अवहेलना कर रही हैं। सतना जिले के कलैक्टर ने १६७ शिक्षा कर्माचारियों को, जो कि तीन वर्ष से काम कर रहे थे, उन्हें ५०० रुपये वेतन पर बोनस अंक देने से मना किया है। इस प्रकार १६७ शिक्षकों के सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि वे समस्त शिक्षकों को बोनस अंक दिलाकर उन्हें पुनः सेवा का अवसर प्रदान करें।..(व्यवधान)

13.00 hrs

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : सभापति महोदय, यह कैसी सिक्योरिटी है कि आए दिन ऊपर से पर्चे फेके जा रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : इस पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

... (व्यवधान)

जिन लोगों ने पर्चे फेके हैं, वे किसी न किसी के रैफरैंस से आए होंगे।

... (व्यवधान)

यह बहुत गंभीर मामला है।

... (व्यवधान)

कल को कोई बम भी फेंक देगा।

... (व्यवधान)

इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति महोदय, इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: It is for the leaders of the political parties to discuss and decide on this.